

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

फुरसतगंज एयरफील्ड

रायबरेली (भारत)

इगुआ के बारे में जानकारी

2005 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के तहत

मैनुअल xvii

निर्धारित और उसके बाद हो सकता है के रूप में इस तरह के अन्य जानकारी
हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन

खंड 4 (1) बी (xvii) के अंतर्गत

इगुआ इस बात की पुष्टि करता है कि आम जनता और विशेष रूप से उड़ान प्रशिक्षण के उम्मीदवारों के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना समय-समय पर अद्यतन की जाती है। यदि कोई अन्य सूचना निर्धारित की जाती है तो उसे भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

एयर कमोडोर सी पी रनदेव को इगुआ का पार्दर्शिता अधिकारी नियुक्त किया गया है जो कि जनसूचनाओं को समय पर वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होंगे।